[1][प्ररूप सं. 71

[नियम 134 देखिए]

[ई–प्ररूप]

धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के प्रत्यय के लिए आवेदन

(1) आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम :

(2) आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पैन और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :

(3) उस व्यक्ति का नाम, जिसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है (यदि (1) से भिन्न है) (टिप्पण 1 देखें) :

(4) उस व्यक्ति का पैन, जिसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है (यदि (2) से भिन्न है) (टिप्पण 1 देखें) :

(5) क्या व्यक्ति, जिसकी कटौती की गई है, निवासी है या अनिवासी? :

(6a) आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का पता :

(6b) आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का पिन/जिप कोड :

(7) ई–मेल पहचान :

(8) मोबइल सं. :

(9) धारा 155 की उपधारा (20) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष (टिप्पण 2 देखें) :

(10) धारा 155 की उपधारा (20) में निर्दिष्ट पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष :

(11) तारीख, जिसको सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय–कर विवरणी प्रस्तुत की गई थी (दिन/मास/वर्ष) :

(12) (9) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष के संदर्भ में ब्यौरे :

सारणी

क्र. सं.	सुसंगत निर्धारण वर्ष में निर्धारिती की विवरणित कुल आय/समझी गई कुल आय/हानि (टिप्पण 3 देखें)	आय की विवरणी में सम्मिलित विनिर्दिष्ट आय* की रकम (टिप्पण 4 देखें)	विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति (टिप्पण 4 देखें)	वह दर, जिस पर विनिर्दिष्ट आय, कर के अध्यधीन थी	पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय पर कटौती किए गए कर की रकम	कर कटौती की तरीख (दिन/मास/वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
योग						

वह दर, जिस पर कर कटौती की गई	कटौती किए गए कर के केंद्रीय सरकार को संदाय की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	आय–कर अधिनियम, 1961 की वह धारा, जिसके अधीन कर की कटौती की गई	(6) में से सुसंगत निर्धातण वर्ष के लिए दावा किए गए कर की रकम	कटौतीकर्ता का नाम	कटौतीकर्ता का टैन	कटौतीकर्ता का पैन
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
योग						

1. आय–कर (बीसवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **1.10.2023** से अंतःस्थापित।

विनिर्दिष्ट आय से धारा 155 की उपधारा (20) में यथा विनिर्दिष्ट कोई आय अभिप्रेत है, जो सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी में सम्मिलित की गई है और ऐसी आय पर स्त्रोत पर कर कटौती की गई है और अध्याय 17ख के अपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के खाते में पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में संदाय किया गया है।

सत्यापन

मैं, ..., पुत्र/पुत्री ....जिसकी पैन/आधार संख्या .... है, यह घोषित करता/करती हूं कि,–

(क) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऊपर दी गई सूचना सही, पूर्ण और सत्य कथित है।

(ख) धारा 139 के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए मैंने आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है, जिसमें ऐसी विनिर्दिष्ट आय सम्मिलित है।

(ग) मैंने प्ररूप सं. 71 में दावा की गई विनिर्दिष्ट आय पर स्त्रोत पर कर कटौती के लिए प्रत्यय का दावा किसी अन्य निर्धारण वर्ष में नहीं किया और उसका दावा नहीं करूगां/करूंगी।

(घ) मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि .... के .... की मेरी हैसियत में, मैं आवेदन कर रहा/रही हूं और मैं इस आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं।

तारीख .... हस्ताक्षर :

स्थान .... पता :

टिप्पण :

1. पंक्ति सं. 3 और 4 में सूचना अपेक्षित होगी, जहां,–
   - (*i*) पश्चात्वर्ती इकाई, उस पूर्ववर्ती इकाई के लिए प्ररूप प्रस्तुत कर रही है, जो अब अस्तित्व में नहीं है।
   - (*ii*) प्ररूप मृत व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

   प्रत्येक पूर्ववर्ती इकाई के लिए पृथक् प्ररूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि एक से अधिक पूर्ववर्ती इकाइयां हो तथा पश्चात्वर्ती इकाई के लिए पृथक् प्ररूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए पृथक् प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. यथास्थिति, नवीनतम सूचना/निर्धारण/पुनः निर्धारण/सुधार/पुनः संगणना आदेश के अनुसार, कुल आय/समझी गई कुल आय/हानि रिपोर्ट की जानी चाहिए।
4. एक से अधिक प्रविष्टि के लिए, पृथक् पंक्तियां भरी जाएं।]